न्यायालय जिला कलक्टर , भीलवाड़ा
(पीठासीन अधिकारी श्रीमती शुचि त्यागी आई•ए•एस•)

प्रकरण संख्या 18/2018 नि.पं.

उनवान

1. हजारी पिता प्यारा मोची
निवासी बागोर, तहसील–मांडल,
जिला–भीलवाड़ा
2. सुरजमल पिता प्यारा मोची
निवासी बागोर, तहसील–मांडल,
जिला–भीलवाड़ा

–निगराकारान

बनाम

1. श्रीमती शाईस्ता परवीन पत्नी
मोहम्मद इरफान मुसलमान
निवासी बागोर तहसील–मांडल
2. ग्राम पंचायत बागोर जरिये सरपंच
3. श्रीमान् अधीक्षण अभियंता,
सा0नि0वि0 खण्ड, भीलवाड़ा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार
मांडल, जिला भीलवाड़ा

–गैर निगराकारान

निगरानी विरूद्ध आदेश जारी किये जाने पट्टा क्रमांक 26 दिनांक 11–9–2017 द्वारा ग्राम पंचायत बागोर दिनांक 20–11–2014

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम

उपस्थित :– श्री कमलेश मेहता – निगराकारान की ओर से अनुपस्थित।
श्री भैरूलाल बापना – गैर निगराकार सं. 1 की ओर से
श्री विपुल बापना राजकीय अधिवक्ता–गैर निगराकार सं. 3 व 4 की ओर से

निर्णय

दिनांक :– 12 .09.2018

निगराकारान की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत कर बताया कि गैर निगराकार सं. 1 द्वारा गैर निगराकार सं. 2 के समक्ष एक प्रार्थनापत्र आवासीय भूखण्ड आवंटन हेतु दिनांक 10–9–2014 को प्रस्तुत किया गया , जिसमें गैर निगराकार सं. 1 ने अपने को गरीब भूमिहीन बताते हुए भूखण्ड आवंटन कराने एवं भूखण्ड रियायती दर पर देने हेतु निवेदन किया जिस पर दिनांक 1–9–2014 को मिसल सं. 30/14–15 ग्राम पंचायत द्वारा कायम की गयी तथा कायम करने के पश्चात् राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 145 के तहत प्रकरण में कार्यवाही शुरू की गयी तथा आदेशिका दिनांक 1–9–2014 में ग्राम पंचायत बागोर द्वारा यह आदेशित किया गया कि सचिव ग्राम पंचायत बागोर मानचित्र व मौका पर्चा बनाया जाकर पत्रावली पेश की जावे । गैर निगराकरा सं. 2 के द्वारा जो वांछित भूखण्ड था उसका नक्शा बनाया गया जिसमें पूर्व का पड़ौस पेंटर सांसी का भूखण्ड , पश्चिम – पड़त आबादी , उत्तर – राजस्व भूमि एवं दक्षिण में गंगापुर सड़क होना दर्शित किया और यह तलिया आराजी नं. 4620 में अंकित होना बताया गया है तथा नपती 40 फीट बाई 30 फीट कुल 1200 वर्गफीट बतायी गयी है । इसके पश्चात् ग्राम पंचायत द्वारा अपने

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

आदेश दिनांक 20 या 22–9–2014 में यह आदेशित किया गया कि नियम 148 के तहत आपत्ति पत्र जारी किया जावे , परन्तु अपने आदेश में आपत्ति कितने समय में पेश करना है यह कहीं दर्शित नहीं किया गया और न वो आपत्ति पत्र ग्राम बागोर के मुख्य स्थान पर लगाया जाना है नहीं लगाया गया तथा उस आपत्ति पत्र की अन्य प्रति जो कि पंचायत को उक्त पालना की तस्दीक में गांव के दो मौतबीर व्यक्तियों के हस्ताक्षर करा कर भेजी जानी है वह भी नियमानुसार नहीं भेजी गयी । जो आपत्ति पत्र दिनांक 8–9–2014 को जारी किया गया उस आपत्ति पत्र में यह दर्शित किया गया है कि भूमि के विक्रय के संबंध में कोई आपत्तियां हो तो सूचना पत्र की तारीख से एक महीन के भीतर आपत्तियां प्रस्तुत की जा सकती है परन्तु ग्राम पंचायत बागोर ने गैर निगराकार सं. 1 से मिलीभगत कर एक माह के पूर्व ही अपने आदेश दिनांक 20–9–2014 में यह निर्णय दे दिया कि कोई आपत्तियां पेश नहीं हुई है इसलिये गैर निगरकार सं. 1 द्वारा चाहा गया भूखण्ड उसे रियायती दर पर दे दिया जावे जबकि गैर निगराकार सं. 1 न तो भूमिहीन है और न ही गरीब है बल्कि गैर निगराकार सं. 1 के पास स्वयं का एवं अपने पति का मकान है , साथ ही साथ वह ग्राम पंचायत बागोर की वार्ड पंच के पद पर पदस्थापित भी है ।

ग्राम पंचायत बागोर ने गैर निगराकार सं. 1 को जो भूखण्ड आवंटित किया है वह बागोर की आराजी नं. 4620 में स्थित होना दर्शित किया गया है । आराजी नं. 4620 के दक्षिण में गंगापुर सड़क है जो कि पट्टे में दर्शित की गयी है और वह सड़क एक एमडीआर की केटेगरी की गैर निगराकार सं. 3 की सड़क है जिसके मध्य बिन्दु से 80 फीट की दूरी के बाद ही कोई भूखण्ड आवंटित या विक्रय किया जा सकता है परन्तु ग्राम पंचायत बागोर ने ऐसा नहीं कर पट्टा गंगापुर बागोर सड़क के मध्य बिन्दू से 80 फीट की दूरी के अंदर ही भूखण्ड विक्रय करना दर्शित किया है जो नियम विरूद्ध है ।

निगराकार ने अपनी निगरानी में आगे यह भी बताया कि पंचायत राज अधिनियम 260 के अनुसार आबादी से प्रस्तावित विक्रय के संबंध में आपत्तियां मांगने का सूचनापत्र सार्वजनिक जगह पर लगाना जरूरी होता है , लेकिन गैर निगराकार को आर्थिक फायदा पहुंचाने की गरज से तत्कालीन सरपंच ने कोई भी आपत्तियां मांगने का सूचनापत्र जारी नहीं किया व पूरी पत्रावली पर सचिव के हस्ताक्षर नहीं है जिससे यह प्रकट होता है कि तत्कालीन सरपंच ने गैर निगराकार सं. 1 से मिलाभगती कर फौरी तौर पर उक्त पट्टा जारी कर दिया है जो खारिज योग्य है ।

निगराकारान ने अपनी निगरानी में आगे यह भी बताया कि गैर निगराकार सं. 1 के पति के पास खनन लीज है तथा अभ्रक के खरीदने बेचने का व्यापार करता है तथा इसके अलावा गैर निगराकार सं. 1 के पति के पास तीन ट्रेक्टर है और एक मारूती वेन है तथा साथ ही साथ बागोर में इसके पति का पक्का मकान है । इस प्रकार गैर निगराकार सं. 1 न तो गरीब है और न ही भूमिहीन है तथा इसके ससुर के नाम पर काफी कृषि भूमि है । गैर निगराकार सं. 1 अपने पति के साथ अपने ससुर के मकान में ही निवास करती है।

गैर निगराकार सं. 1 को जो भूखण्ड आवंटित किया गया है तथा जहां पर गैर निगराकार सं. 1 ने उक्त पट्टे की आड़ में कब्जा कर रखा है वह आराजी सं. 4620 में न होकर अन्य आराजी संख्या 4628 में स्थित है । आराजी नं. 4620 में जिस जगह गैर निगराकार सं. 1 को पट्टे में दर्ज पड़ौसों का भूखण्ड आवंटित किया गया है वह भूभाग गैर निगराकार का है जो कि निगराकार को अदालत उपखण्ड अधिकारी मांडल के निर्णय दिनांक 27–1–2017 से प्रकरण सं. 105/2015 से प्राप्त हुआ है । उक्त प्रकरण में निगराकार की भूमि जो सेटलमंट के दौरान गलती से आबादी दर्ज कर दी गयी थी को पुनः उक्त निर्णय के जरिये निगराकार को दी गयी है । आराजी सं. 4620 में जो भूमि निगराकार को लौटायी गयी है वह 14 बिस्वा है जो कि निगराकार की अन्य आराजी 4627 व 4628 से लगती हुई है । गैर निगराकार सं. 1 ने उक्त पट्टे की आड़ में कब्जा तालाब की पाल आराजी नं. 4627 के पूर्व की ओर 4628 में कर रखा है जबकि उसे पट्टे में दर्शित स्थान 4620 के अंदर पट्टा आवंटित हुआ है ।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

ग्राम पंचायत बागोर गैर निगराकार सं. 2 द्वारा जो पट्टा गैर निगराकार सं. 1 के पक्ष में जारी किया गया है वह पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 167 के तहत जारी करना बताया जाता है जबकि गैर निगराकार सं. 2 के आदेश दिनांक 20–11–2014 में पट्टा नियम 158 के तहत दिया जाना बताया गया है । उक्त निर्णय दिनांक 20–11–2014 पंचायती राज के चुनाव के दौरान जारी आचार संहिता के समय में दिया गया है जो कि जारी नहीं किया जा सकता था ।

प्रस्तुत निगरानी को इस न्यायालय में पंजीबद्ध करते हुए गैर निगराकारान को नोटिस जारी किये गये व ग्राम पंचायत से पत्रावली को तलब किया गया ।

गैर निगराकार सं. 1 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर बताया गया कि गैर निगराकार सं. 1 शाहिस्ता परवीन ने दिनांक 30–8–2014 , 1–9–2014 को ग्राम पंचायत बागोर में कमजोर वर्ग में रियायती दर से आवासीय भूखण्ड दिलाने बाबत् प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन किया कि मैं प्रार्थीया ओ.बी.सी. अल्पसंख्यक समुदाय की सदस्य हूँ और गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की सदस्य हूँ । मेरे रहने के लिये आवासीय भूखण्ड नहीं है । कमजोर वर्ग में रियायती दर से आवासीय भूखण्ड की जो राशि बनेगी वह मैं जमा कराने के लिये तैयार हूँ । इस प्रार्थनापत्र पर ग्राम पंचायत द्वारा पत्रावली सं. 30/14–15 (भूमि विक्रय) कायम की गयी और पंचायत ने राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के प्रावधानों की पालना करते हुए 40 बाई 30 फीट का भूखण्ड रियायती दर पर मुझे प्रदान किया जिसके पड़ौस पट्टे में अंकित है । यह भूखण्ड आराजी नं. 4620 गै.मु. आबादी में स्थित है।

नियम 148 के तहत दिनांक 8–9–2014 को आपत्ति पेश करने का जो सूचनापत्र जारी किया गया वह एक महीने का जारी किया गया था । इस आपत्ति पत्र पर गांव के 2 से अधिक मौतबीर व्यक्तियों के हस्ताक्षर कराये गये थे । यह आपत्ति पत्र विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि पर सहज दृश्य स्थान पर व दूसरी प्रति भी गांव के मुख्य स्थान पर मौतबीर व्यक्तियों के हस्ताक्षर कराकर पंचायत को लौटाई गयी थी । निगराकार का यह लिखना कतई गलत है कि दिनांक 20–9–2014 को ही पंचायत ने अपने आदेश में यह निर्णय दे दिया हो कि कोई आपत्ति पेश नहीं हुई है । गैर निगराकार गरीब व भूमिहीन है । सन् 2014 में मुझ गैर निगराकार का पति ग्राम पंचायत बागोर के वार्ड पंच के पद पर पद्स्थापित नहीं था ।

मुझ गैर निगराकार सं. 1 को जो भूखण्ड प्रदान किया गया है वह ग्राम बागोर की आराजी नं. 4620 गै.मु. आबादी में ही स्थित है जैसाकि श्रीमान् तहसीलदार सा. मांडल द्वारा ग्राम पंचायत बागोर से मांगी गई सूचना का ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 17–11–2017 को प्रेषित पत्र में बातया गया है कि उक्त पट्टे वाला भूखण्ड आराजी नं. 4620 में ही स्थित है। उक्त भूखण्ड के दक्षिण दिशा में गंगापुर सड़क स्थित अवश्य है किन्तु राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 161 के अनुसार ऐसी अन्य जिला सड़कों व गांव सड़कों की मध्य रेखा से 50 फुट के बाद किसी भूखण्ड का आवंटन ग्राम पंचायत द्वारा किया जा सकता है । गैर निगराकार सं. 1 को जो रियायती दर पर भूखण्ड का पट्टा जारी किया गया है वह उक्त गंगापुर सड़के के मध्य बिन्दु से 50 फीट से ज्यादा दूरी छोड़ने के बाद ही स्थित है । मुझ गैर निगराकार के पति के पास कोई खनन लीज नहीं है और न ही वे अभ्रक के खरीदने बेचने का व्यवसाय करते हैं और न ही उनके पास तीन ट्रेक्टर व मारूति वेन और पक्का मकान है । मैं गैर निगराकार पिछड़े व गरीब तबके की हूँ। मेरे ससुर जी के पास केवल मामूली कृषि भूमि है जिसमें भी मुझे व मेरे पति को कोई हिस्सा नहीं मिला है। मुस्लिम विधि में यह स्पष्ट प्रावधान है कि पिता के जीवनकाल में उनकी सम्पत्ति में कोई भी अधिकार पुत्र को प्राप्त नहीं होता है।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

गैर निगराकार को जिस जगह आराजी नं. 4620 में पट्टा दिया गया है उसी जगह उसका कब्जा है न कि आराजी नं. 4628 में । आराजी नं. 4620 गै.मु. आबादी के रूप में दर्ज है जो सरकारी भूमि है । आबादी भूमि के बारे में खातेदारी अधिकार देने का राजस्व न्यायालय को कोई क्षेत्राधिकार नहीं है । श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी मांडल के प्रकरण सं. 105/2015 में पारित निर्णय के विरूद्ध मुझ गैर निगराकार ने माननीय भूप्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी जी भीलवाड़ा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर रखी है । आराजी सं. 4620 निगराकार की नहीं है और न ही हो सकती है क्योंकि आराजी सं. 4620 गै.मु. आबादी है जिसमें मुझ गैर निगराकार को आवासीय पट्टा जारी किया गया है और मुझ गैर निगराकार का कब्जा भी इसी आराजी सं. 4620 में जिस जगह व जिन पड़ौसों के बीच में पट्टा जारी किया गया है उसी जगह पर है । निगराकार का आराजी नं. 4620 पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है और न ही यह भूमि कभी उसके खाते में रही है । मुझ गैर निगराकार का कब्जा तालाब की पाल आराजी नं. 4627 की पूर्व की ओर आराजी नं. 4628 में नहीं है बल्कि गै.मु. आबादी आराजी नं. 4620 में ही है जिस जगह मुझे पट्टा दिया गया है । मेरे पूर्व दिशा में पेंटर सांसी का भूखण्ड नपती 40 बाई 30 फीट का है । ग्राम पंचायत बागोर ने तहसीलदार सा. को जो पत्र क्रमांक 343 दिनांक 17–11–2017 को भेजा था उसमें और पटवारी हल्का बागोर ने श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी जी मांडल को जो रिपोर्ट दिनांक 3–11–2017 को भेजी है उसमें भी मुझ गैर निगराकार को दिये गये पट्टे की भूमि व कब्जा आराजी नं. 4620 गै.मु. आबादी में ही है ।

मुझ गैर निगराकार को ग्राम पंचायत बागोर ने उक्त भूखण्ड का पट्टा देने का निर्णय दिनांक 20–11–2014 को किया था उसकी अनुपालना में पट्टा दिनांक 11–9–2017 को जारी किया गया था । जिस वक्त पंचायत ने पट्टा देने का निर्णय किया था उस वक्त ग्राम पंचायत के विरूद्ध कोई भी आदेश नहीं था बल्कि उस वक्त निगराकारान ने कोई वादपत्र ही न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया था । निगराकारान् ने जो वादपत्र पेश किया था उसके मुकदमा नं. 105/2015 है । मुझ गैर निगराकार सं. 1 ने गैर निगराकार सं. 2 से कोई भी मिलीभगत व दुरभिसंधि नहीं की है बल्कि पंचायत ने मेरी पात्रता के मद्देनजर ही मुझे पट्टा जारी किया है।

राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 167 के तहत ही आबादी भूमि का विक्रय विलेख निष्पादित किये जाने का प्रावधान है और उसी के तहत ग्राम पंचायत ने मेरे पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित किया है । दिनांक 20–11–2014 को चुनाव की कोई भी आचार संहिता जारी की हुई नहीं थी। पंचायत ने सहीतौर से दिनांक 20–11–2014 को मुझ निगराकार को पट्टा जारी करने का निर्णय किया था । निगराकारान को प्रारम्भ से ही यानि 2014 से ही पूरी जानकारी थी कि आराजी सं. 4620 गै.मु. आबादी में ग्राम पंचायत ने मुझ गैर निगराकार को व अन्य व्यक्तियों को आवासीय पट्टे जारी किये हैं क्योंकि पंचायत द्वारा किये गये निर्णय के साथ ही हम पट्टागृहिताओं को मौके पर कब्जा दे दिया गया था । श्रीमान् भूप्रबंध अधिकारी जी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी जी भीलवाड़ा के यहां मुझ गैर निगराकार सं. 1 द्वारा प्रस्तुत अपील में जारी नोटिस जिसमें कि तारीख पेशी 27–12–2017 की दर्ज की गयी थी उससे पट्टे की जानकारी होने का तथ्य निगराकारान ने सरासर गलत दर्ज किया है । निगराकारान की निगरानी बेरूनमियाद होने से निरस्तनीय है।

ग्राम पंचायत बागोर ने दिनांक 2–10–2017 को मुझ गैर निगराकार को मुझे दिये गये भूखण्ड पर निर्माण कार्य करने की स्वीकृति भी प्रदान कर दी थी जिसको कोई भी चुनौती निगराकार द्वारा नहीं दी गयी थी जिससे ग्राम पंचायत का उक्त निर्णय फाइनल को चुका है । निगराकारान ने गरीब , पिछड़ा वर्ग व अल्प संख्यक समुदाय की मुझ गैर निगराकार को जलील व परेशान करने की नीयत से यह निगरानी प्रस्तुत की है जो सरासर निराधार होने से सव्यय निरस्तनीय है।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

गैर निगराकार सं. 3 ने अपना जवाब प्रस्तुत कर बताया कि ग्राम बागोर की आराजी नं. 4620 गै.मु. आबादी के दक्षिण दिशा में गैर निगराकार सं. 3 के खातेदारी की आराजी नं. 4620/7010 गै.मु. सड़क स्थित है । इस सड़क के मध्य बिन्दु से गैर निगराकार सं. 1 को आवंटित भूखण्ड कितनी दूर स्थित है इसकी जानकारी जवाबदाता गैर निगराकार सं. 3 को नहीं है । इण्डियन रोड़ कांग्रेस के प्रावधानों के अनुसार एम.डी.आर. रोड़ के मध्य बिन्दु से 25 मीटर दूरी के बाद ही भूखण्ड का आवंटन किया जा सकता है ।

गैर निगराकार सं. 1,3 व 4 के अधिवक्ता उपस्थित । पंचायत से अपीलाधीन रेकार्ड उपलब्ध होने पर बहस सुनी गयी । गैर निगराकार सं. 1 ने लिखित बहस भी प्रस्तुत की । निगराकार अधिवक्ता बहस के दौरान उपस्थित नही हुए।

गैर निगराकार सं. 1 ने अपनी बहस में बताया कि गैर निगराकार सं. 1 अल्पसंख्यक समुदाय की पिछड़े वर्ग की गरीब आवासहीन महिला है जो गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रही है । गैर निगराकार सं. 1 के पास अपना स्वयं का कोई आवासीय मकान ग्राम बागोर में नहीं है जिससे उसने रियायती दर पर भूखण्ड दिलाने हेतु दिनांक 01–09–2014 को ग्राम पंचायत बागोर में आवेदन पेश किया जिस पर ग्राम पंचायत बागोर ने उसे रियायती दर पर 40 बाई 30 फीट का भूखण्ड प्रदान किया । मेरे द्वारा भूखण्ड दिलाने हेतु आवेदन पत्र पेश करने पर ग्राम पंचायत बागोर ने नियम 145 के तहत पत्रावली सं. 30/14–15 कायम की और नियम 146 के तहत मानचित्र व मौका पर्चा वार्ड पंचों की कमेटी द्वारा बनाया गया । इसके बाद नियम 148–149 के तहत आपत्ति पेश नहीं होने से माफिक मानचित्र मुझ गैर निगराकार सं. 1 को रियायती दर पर नियम 158 के तहत भूखण्ड दिलाये जाने का निर्णय दिनांक 20–11–2014 को लिया गया और इस निर्णय की पालना में दिनांक 11–9–2017 को पट्टा सं. 26 मुझ गैर निगराकार सं. 1 को जारी किया गया । मुझ गैर निगराकार सं. 1 का पति सन् 2014 में वार्ड पंच नहीं था और न ही उनके पास कोई खनन लीज , ट्रेक्टर व मारूति वेन है और न ही उनके पास अभ्रक का कोई व्यवसाय है । उनका अपना कोई भी निजी मकान ग्राम बागोर में नहीं है । ग्राम पंचायत बागोर द्वारा रियायती दर पर जो भूखण्ड मुझे दिया गया वह आबादी की आराजी नं. 4620 में है न कि आराजी नं. 4628 में और यह भूखण्ड सड़के मध्य बिन्दु से करीब 85 फीट दूर है । पटवारी हल्का ने दिनांक 3–11–2017 को तहसीलदार सा. मांडल के जरिये जो रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी जी माण्डल को भेजी उसमें भी यह भूखण्ड आबादी की आराजी नं. 4620 में ही बताया गया है । इसी तरह पत्र क्रमांक 343 दिनांक 17–11–2017 को ग्राम पंचायत बागोर ने श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी जी मांडल को प्रेषित किया उसमें भी यह बताया गया कि गैर निगराकार सं. 1 का भूखण्ड आबादी की आराजी नं. 4620 में ही है । इस गै.मु. आबादी आराजी सं. 4620 की जमाबंदी की प्रति मैंने न्यायालय आपमें पेश की है ।

मुझ गैर निगराकार सं. 1 को जो पट्टा जारी किया गया था उस वक्त कोई भी आचार संहिता लगी हुई नहीं थी और न ही दिनांक 20–11–2014 को कोई आचार संहिता थी । ग्राम पंचायत बागोर ने मुझ गैर निगराकार सं. 1 को उक्त भूखण्ड पर निर्माण कार्य करने की स्वीकृति दिनांक 2–10–2017 को जारी की थी।

गैर निगराकार सं. 1 श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन गरीब महिला हूँ इसके सबूत में मैंने ग्राम पंचायत बागोर द्वारा जारी प्रमाणपत्र दिनांक 13–8–2018 की प्रति चारभुजा सप्लायर्स बागोर द्वारा दी गयी तस्दीक की प्रति और पी.डब्ल्यू.डी. गवर्नमेंट कॉन्ट्रेक्टर भीलवाड़ा श्री सुशील कुमार जी ओझा द्वारा जारी की गयी तस्दीक भी न्यायालय आपमें पेश की । इसके अलावा श्रीमान् भूप्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी जी भीलवाड़ा के प्रकरण सं. 354/17 में जारी किये गये स्थगन आदेश की प्रति भी पेश की गयी । निगराकार झगडालु व्यक्ति है जो मुझसे रंजिश रखता है और मुझ जैसे गरीब लोगों को हमारे भूखण्डों से बेदखल कराना चाहता है । इसी नियत से उसने उक्त निगरानी पेश की है जो सारहीन होने से सव्यय निरस्त होने योग्य है ।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

पक्षकारान की प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । ग्राम पंचायत बागोर की पत्रावली सं. 30/14–15 के निर्णय दिनांक 20.11.2014 अनुसार सरपंच ग्राम पंचायत बागौर ने राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियमों के अंतर्गत ग्राम बागौर की आबादी भूमि में से 1200 वर्गफुट का पट्टा गैर निगराकार सं. 1 के नाम पर जारी करने के आदेश पारित किए गए है। इस आदेश के अंतर्गत ग्राम पंचायत बागौर द्वारा गैर निगराकार सं. 1 के पक्ष में दिनांक 11.09.2017 को पट्टा सं. 26 जारी किया गया है। गैर निगराकार सं. 2 द्वारा निर्णय दिनांक 20.11.2014 पारित करने में एवं इस निर्णय के अंतर्गत गैर निगराकार सं. 1 के पक्ष में जारी आबादी भूमि का पट्टा जारी करने में किसी प्रकार की त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य नहीं ठहरती है। अतएव

आदेश

निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अंतर्गत सिद्ध नहीं होने से खारिज की जाती है। गैर निगराकार सं. 2 सरपंच, ग्राम पंचायत बागौर द्वारा पत्रावली सं. 30/14–15 में पारित आदेश दिनांक 20–11–2014 को एवं उक्त आदेश के अंतर्गत सरपंच ग्राम पंचायत, बागौर द्वारा गैर निगराकार सं. 1 के पक्ष में दिनांक 11–9–2017 को जारी किये गये पट्टा सं. 26 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

{शुचि त्यागी}
जिला कलक्टर ,
भीलवाड़ा